

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी 2019 — फाल्गुन 9, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019 (फाल्गुन 9, 1940)

क्रमांक-3210/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) जो गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2019 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 7 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | | |
|-------------------------------------|----|-----|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा. |
| | | (2) | इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा. |
| | | (3) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा. |
| धारा 9 का संशोधन. | 2. | | छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 9 की उप-धारा (1) में, खण्ड (ग) में, प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :- |

“परन्तु यह और कि यदि नगरपालिक निगम के आम चुनाव में, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति नहीं चुना जाता हो, तो राज्य शासन, ऐसी नगर पालिक निगम में, जैसा भी समुचित हो, एक दिव्यांग व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट दिव्यांग सदस्य, इस खण्ड के अधीन मनोनीत सामान्य सदस्यों के अतिरिक्त होगा.

स्पष्टीकरण : इस परंतुक के प्रयोजन के लिये दिव्यांग व्यक्ति से अभिप्राय होगा, किसी शासकीय चिकित्सक द्वारा सम्यक् रूप से यथा प्रमाणित व्यक्ति, जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की अनुसूची में सम्मिलित एक या अनेक दिव्यांगता हो, सिवाय सरल क्रमांक 2 (बौद्धिक दिव्यांगता) और 3 (मानसिक व्यवहार) में उल्लिखित दिव्यांगता के :”

उद्देश्य और कारणों का कथन

संविधान द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, राज्य शासन, सार्वजनिक जीवन तथा शासन सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु कृत संकल्पित है। इस दिशा में प्रथम चरण के रूप में, यह आवश्यक हो गया है कि स्थानीय नगरीय निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाये।

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यह प्रस्तावित है कि यदि आम चुनाव में नगर पालिक निगम में न्यूनतम एक दिव्यांग व्यक्ति निर्वाचित होकर नहीं आते हैं, तो शासन को नगर पालिक निगम में समाज के ऐसे वर्ग से एक दिव्यांग व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

अतएव, उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) में संशोधन करना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,
दिनांक 25 फरवरी, 2019

डॉ. शिवकुमार डहरिया
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 वर्ष 1956) की धारा 9 की उप-धारा 1 का खण्ड (ग)
का सुसंगत उद्धरण

धारा 9 की उप-धारा (1) नगर पालिक निगम निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-

“(ग) नगरपालिक प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति, जिनकी संख्या नगर के नगर पालिक वार्डों की संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक न हो :

परन्तु यह कि खण्ड के अधीन नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या आठ होगी :

परन्तु यह और कि केवल ऐसा व्यक्ति हो नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जो नगर पालिक क्षेत्र के भीतर निवास करता है तथा पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिये अन्यथा अपात्र नहीं है.”

चन्द्र शेखर गंगराडे
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.